राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 20.09.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री ए॰ मुखोपाध्याय	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष एवं सदस्य
2.	श्री मुकेश कुमार शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्रीमती इन्दिरा	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
4.	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

श्री नवीन महाजन, शासन सचिव, वित्त(बजट)विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कारणवश मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी, जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।

<u>बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे</u> :–

1.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता–प्रथम
2.	श्री जी॰एस॰ बाघेला	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
3.	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	निदेशक (विधि)
4.	श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
5.	श्रीमती आरती बागोटिया	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
232.1	दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 231वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।(कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ दिनांक 02.06.2016 को प्रेषित)	दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 231वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
232.2	दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 231वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 30.05.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 231वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

232.3	श्री जितेन्द्र वतवानी को आवंटित भू–खण्ड के संबंध में।	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।	FA
232.4	राजस्थान आवासन मण्डल की रामकृष्णपुरम आवासीय योजना कोठपुतली के 50 आवासों का वर्ष 2014–15 की लागत स्थिर कर 20 प्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ खुली बिक्री योजना द्वारा निस्तारण बाबत्।	विस्तृत चर्चा उपरान्त राजस्थान आवासन मण्डल की रामकृष्णपुरम आवासीय योजना कोटपूतली के 50 आवासों की वर्ष 2014–15 की लागत स्थिर रखने की प्रस्तावानुसार अनुमति प्रदान की गई परन्तु 20 प्रतिशत छूट की अनुमति नहीं दी गई।	FA (ACE-I)
232.5	श्री सुभाष यादव, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के पुत्र श्री कार्तिक यादव, आयु–14 वर्ष के ईलाज में इन्सुलिन पम्प लगाये जाने हेतु व्यय होने वाली राशि रुपये 580560/– स्वीकृत करने हेतु प्रकरण संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने बाबत।	प्रस्तावानुसार इन्सुलिन पम्प लगाये जाने हेतु व्यय राशि रुपये 580560/– स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई।	FA
232.6	श्री दलपत सैन को चौपासनी योजना, जोधपुर में नीलामी द्वारा आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 17E-CS-3 के आवंटन पत्र की समयावधि बढाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।	FA (DHC-II Jodhpur)
232.7	श्री अमर सिंह को चौपासनी योजना, जोधपुर में नीलामी द्वारा आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 3-AS-16 के आवंटन पत्र की समयावधि बढाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।	FA (DHC-II Jodhpur)
232.8	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2016–17 की विकसित भूमि दर निर्धारण के संबंध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि जिन शहरों में समान वर्ष में डी.एल.सी. की दर में जितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है वहॉ उसी अनुपात में मण्डल की विकसित भूमि दर में आवासन मण्डल के नियमान्तर्गत (अधिकतम 12% तक) वृद्धि की जावे।	FA
232.9	सामान्य भविष्य निधि की जमा राशियों पर ब्याज दर के विषय में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	FA
232.10	वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के नीतिगत निर्णय बाबत्।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	FA

232.11	समस्त भारतीय सेवा/राज्य सेवा/विधि अधिकारियों को उपलब्ध करवाये गये लैपटॉप के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों के प्रत्यावर्तन (Repatriation) या सेवानिवृत्ति (Superannuation) की स्थिति में राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्धारित राशि जमा कराने पर उन्हें मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये लैपटॉप का स्वामित्व प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।	FA
232.12	वित्तीय वर्ष 2015–16 (कर निर्धारण वर्ष 2016–17) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हेतु मण्डल से स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
232.13	मण्डल सेवा के वरिष्ठ लेखाधिकारी के एक पद को उप वित्तीय सलाहकार (पे बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे 7600) में क्रमोन्नत करने के संबंध में।	राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
232.14	जवाहर सर्किल, मालवीय नगर, जयपुर स्थित तत्कालीन आवास विकास संस्थान भवन में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को किराये पर उपलब्ध कराये गये परिसर के किराया पुनर्निर्धारण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA (DHC-III Jaipur)
232.15	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवासों में आन्तरिक विद्युतिकरण की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपयोग में लिये जाने वाले विभिन्न उत्पादों का मेक निर्धारण किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव आस्थगित (Defer) किया गया।	FA (RE-Electric)
232.16	मण्डल द्वारा चिन्हित यूटीआई/एसबीआई म्यूचवल फण्ड योजनाओं में निवेश करने के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई एवं राज्य सरकार से इस निवेश को जारी रखने की अनुमति प्राप्त करने की भी अनुशंषा की गई।	FA

232.17	इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर के सेक्टर–08 में निर्मित मध्यम आय वर्ग 'ब' (एस+9) के 72 फ्लेट्स जोन–बी के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1705.78 लाख के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्ताव के कुछ पहलुओं के पुनः परीक्षण के निर्देश के साथ प्रस्ताव आस्थगित (Defer) किया गया ।	FA (ACE-I)
232.18	राजस्थान आवासन मण्डल के स्वामित्व के जवाहर नगर, सेक्टर–2, जयपुर स्थित व्यवसायिक भूखण्ड को राज्य सरकार को हस्तांतरण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में व्यावसायिक भूखण्ड का कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जाने एवं भूखण्ड की कीमत का आंकलन एवं अन्तिम लागत का निर्धारण मण्डल की लेखा शाखा से करवाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मण्डल को देय राशि का प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	CEM (ACE-I)
232.19	मण्डल द्वारा हाल ही में प्रसारित आदेश / परिपत्र एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार को संदर्भित प्रकरण संचालक मण्डल के अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु।	मण्डल द्वारा हाल ही में प्रसारित आदेश / परिपत्र एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार को संदर्भित प्रस्तुत प्रकरणों का संचालक मण्डल सदस्यों द्वारा अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गई।	–

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शंकर लाल कुमावत)
सचिव